न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–31 / 2008
GCMS No. -2016/00248

1. श्रीमती काली बाई पत्नि गणपत लाल सुथार निवासी बोराखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा राज०

वादिया

बनाम

1. श्रीमती सीता बाई पत्नि भंवरलाल ब्राहम्ण उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी बोराखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा राज०
2. श्री भंवर लाल पिता तोली राम ब्राहम्ण पेशा बाइत निवासी बोराखेडी।
3. श्री मिठ्ठु लाल पिता भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी बोराखेडी।
4. श्री राधेश्याम पिता भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी बोराखेडी।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

उपस्थित :– 1– श्री ऋषभ कुमार सेठिया – अधिवक्ता वादिया
2– श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4

::निर्णय::

दिनांकः–13.01.2025

1. पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य की आराजियात वाके मौजा बोराखेडी की की आराजी नं. 906 / 763 / 343 रकबा 15 बीस्वा स्थित है जो वादीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की है ।

2. उक्त आराजियात मुतदाविया पर वादीया शांतिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है प्रतिवादीगणों का उक्त आराजियात मुतदाविया से काई ताल्लुक हक अधिकार नही है ताहम भी प्रतिवादीगण आए दिन वादीया के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी एवं उसे बेदखल करने की धमकी देते रहते है जिसका उन्हें कोई कानुनी अधिकार नहीं है इसलिए प्रतिवादीगणों को वादीया स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है कि व वादीया के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करे करावे और ना ही जबरन इस पर पत्थर मिटटी आदि डलावे और वादीया को आराजी मुतदाविया का उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे करावें ।

3. वाद कारण 1–3–2008 को जब प्रतिवादीगणो न हमसलाह होकर वादीया के कब्ज काश्त में दखल अंदाजी करने का प्रयास कर जबरन मिट्टी पत्थर डालने की धमकी दी से उत्पन्न होकर वाद अंदर [illegible] है।

4. आराजियात मुतदाविया एवं [illegible] तहसील निम्बाहेड़ा के होने से श्रीमान के क्षत्राधिकार मे हो[illegible]88 टि०एक्ट के तह[illegible] से श्रीमान के श्रवणाधिकार में है जो फिक्स कोर्ट फिस [illegible] पेश है ।

5. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 4 की और से उनके अधिवक्ता श्री सरेन्द्र कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:41 IST
Reason: SelfAttested

5. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 4 की और से उनके अधिवक्ता श्री सरेन्द्र कुमार ओझा ने वकालत नामा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि मोजा बोराखेडी की आराजी नम्बर 906/763/343 रकबा 15 बिस्वा वादिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना स्वीकार नहीं है। उक्त मौके पर आराजी नम्बर 806/343 मीन रकबा 1 बिगा प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जे की है तथा आराजी नम्बर 858/806/343 रकबा प्रतिवादी संख्या 4 के खातेदारी व कब्जे की है तथा आराजी नम्बर 856/806/343 रकबा 1 बिगा प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। आराजी नम्बर 907/343 रकबा 11 बिस्वा यह सभी आराजियात मौके पर एक होकर इस पर प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। परन्तु विवादित आराजियात पर कब्जा वादिया का है और वह काश्त करती चली आ रही हो यह स्वीकार नहीं है। बल्कि अरसे दराज से ही प्रतिवादागण का उक्त भूमि पर चला जा रहा है। वादीया इस दावे की आड़ लेकर प्रतिवादीगण को जबरन बेदखान करना चाहती है। इस सम्बन्धा में एक दावा पक्षकारान के मध्य पूर्व में चला था जो अभी राजस्व मण्डल अजमेर में विवाराधीन है। जब वादीया का कोई मोके पर कब्जा है ही नहीं' तो उसको बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न हो पेदा नहीं होता है। वादी या किसी प्रकार का स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी नहीं है। बल्कि यह भुमि जिस तर प्रतिवादीगण का कब्जा अरसे दराज से चला जा रहा है और उनकी पत्थर की कोट बनी हुई है। वादीया कोई कब्जा विवादित भूमि के किसी भाग पर किसी हैसियत से नहीं है। प्रतिवादीगण के प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) का प्रत्युत्तर वादीया ने दिनांक 08/07/2009 को प्रस्तुत कर प्रकट किया कि आराजी नं0 906/763/343 वादीया की स्वअर्जित हैं जो वादीया ने खातेदार मांगु पुत्र घासीबाई से पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा वादीया की क्रय शुदा विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कोई स्वत्व अधिकार एवं आधिपत्य नही है प्रतिवादी नं० 1 श्री मांगू पुत्र घासीनाई से 3 बिघा आराजी मे से 15 बिस्वा आराजी खरीदी तथा वादीया ने प्रतिवादीगण के प्रतिदावा को निरस्त करने की प्रार्थना की।

6. उक्त प्रकरण में दिनांक 12.10.2009 को निम्न तनकीयात कायम की गयीः—

1. **क्या वादीया अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नं0 906/763/343 तादादी 15 बिस्वा मौजा बोराखेडी पर प्रतिवादीगण को मदाखलत मजाहमत से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारीणी है?**

   जिम्मे वादीया

2. **क्या वादीया ने आराजी नं0 736/345 मे से मांगु पिता घासीनाई निवासी बडोली माधोसिंह से 15 बिस्वा दिनांक 29/12/2005 से खरीदी थी?**

   जिम्मे वादीया

3. **क्या वादीया खातेदारी काश्तकार होने से प्रतिवादीगण द्वारा किया गया काउण्टर क्लेम चलने योग्य नही हैं?**

   जिम्मे वादीया

4. **क्या प्रतिवादीगणो द्वारा निराधार काउण्टर क्लेम पेश करने से वादीया प्रतिवादीगण से स्पेशल 20,000 / रुपये प्राप्त करने की अधिकारीणी हैं?**

   जिम्मे वादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:41 IST
Reason: SelfAttested

5. **दादरसी**

   जिम्मे वादीया

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

5.ए आया काउन्टर क्लेम की चरण संख्या 1 में लिखित आराजियात प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है तथा प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है ?

जिम्मे प्रतिवादी

7. वादीया ने प्रस्तुत वाद मे अपने पक्ष की तनकीयात को सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यु 1 कालीबाई एवं पीडब्ल्यु 2 रामचन्द्र सुथार पीडब्ल्यु 3 सौभागमल सुथार को परीक्षित कराया तथा प्रदर्श–1 जमाबन्दी तथा प्रदर्श 2 प्रमाणित फोटो प्रति बयनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यु 1 भंवरलाल तथा डीडब्ल्यु 2 भगवतीलाल डीडब्ल्यु 3 मोहनलाल को परीक्षित कराया, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए 1ए विक्रय विलेख , शंकरदास से क्रय की जमीन का विक्रय पत्र प्रदर्श ए2ए रिपोर्ट तहसील निम्बाहेडा प्रदर्श ए–3, प्रदर्श ए–4 ,5,6 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श ए–7 कार्यालय टिप्पणी, प्रदर्श ए–8 तहसीलदार (भू.अ.) पत्र , प्रदर्शः 8 पर्चा सेटलमेन्ट व प्रदर्श ए–9 नक्शा प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

8. तनकी नं० 1 का भार वादीया पर है, वादीया ने तनकी नं० 1 को सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य में बतौर साक्षी पीडब्ल्यु 1 परीक्षित हुई तथा पीडब्ल्यु 2 व पीडब्ल्यु 3 साक्षीयो ने वादीया के अभिकथनो का समर्थन किया तथा वादीया प्रदर्श–1 जमाबन्दी अपने खातेदारी पेश की तथा प्रदर्श 2 प्रमाणित प्रतिबयनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी सिद्ध की। प्रतिवादी की साथ में प्रस्तुत साक्षी डीडब्ल्यु 1 भंवरलाल ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया कि मांगु नाई से वादीया ने मांगु नाई के खातेदारी की आराजी नं०763/343 तादादी 3 बीघा में से 15 बिस्वा आराजी विवादित खरीदी जो वादीया के खातदारी मे दर्ज हैं तथा प्रतिवादीगण वादीया की विवादित आराजियात मदाखलत व मजाहमत करने से इंकार किया एवं विवादित आराजियात पर वादीया का कब्जा होना स्वीकार किया, प्रतिवादी नं० सीताबाई साक्ष्य प्रतिवादी में पेश नही हुई डीडब्ल्यु 2 भगवती लाल पेश हुआ जो मांगु नाई से वादीया द्वारा खरीदी जमीन पर कब्जा वादीया का होना कहा है उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीया ने तनकी नं० 1 अपने पक्ष में सिद्ध की हैं इसलिए तनकी नं० 1 वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

तनकी नं0 2

तनकी नम्बर 2 को सिद्ध करने का भार वादीया पर है मांगु नाई की आराजी नं0 736/345 ग्राम बोराखेडी में से वादीया ने 15 बिस्वा जमीन पंजीकृत विक्रय पत्र प्रदर्श 2 ए से खरीदी जिसको डीडब्ल्यु 1 एवं डीडब्ल्यु 2 अपने बयानो मे स्वीकार करते है अतः तनकी वादीया की साक्ष्य एवं प्रतिवादी के साक्ष्य में डीडब्ल्यु 1 भंवरलाल डीडब्ल्यु 2 भगवतीलाल ने वादीया द्वारा 15 बिस्वा विवादित आराजियात खरीदना स्वीकार किया। इसलिए तनकी नं० 2 वादीया के पक्ष मे निर्णित की जाती हैं।

तनकी नं0 3

वादीया खातेदारी है तनकी नं0 1व 2 वादी ने सिद्ध की वादीया खातेदार काश्तकार है, वादीया का उसके खातेदारी का आराजियात पर कब्जा हैं, प्रतिवादीगण के काऊण्टर क्लेम के अभिवचनो अनुसार प्रतिवादीगण वादीया के विरुद्ध कोई मदाखलत मजाहमत उनके खातेदारी की आराजियात किया जाना कतई सिद्ध नही कर सके है, बल्कि विवादित आराजी वादीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होना साक्षी प्रतिवादीगण ने अपनी जिरह मे स्वीकार किया है, इसलिए काऊण्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार होने योग्य नही है, इस कारण तनकी नं० 3 बहक वादीया निर्णित की जाती हैं।

तनकी नं0 4

तनकी नं0 4 के सिद्ध करने का भार वादीया पर है [illegible] ने अपनी साक्ष्य से स्पेशल कास्ट 20,000/ रुपये के लिये कोई अभिकथन नहीं करने से तनकी वादीया के विरुद्ध तय की जाती हैं।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:41 IST
Reason: SelfAttested

तनकी न0 5ए

उक्त प्रकरण दिनांक 12/10/2009 को अतिरिक्त तनकी नं० 5 ए बनाई गई, जिसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा उक्त तनकी, तनकी नं0 3 के खण्डन की हैं, साक्ष्य प्रतिवादी से प्रतिवादीगण वादीया को किस आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं? ऐसी कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण की नही हैं बल्कि प्रतिवादीगण स्वयं वादीया के खातेदारी की आराजी नं0 906/763/343 स्वीकार कर वादीया के कब्जे की होना स्वीकार करते है इसलिए तनकी नं० 5 ए प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

–:आदेश:–

अनुतोष अनुसार पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के अवलोकन तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन उपरान्त यह साबित होता है कि समस्त तनकीयात वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा तथा प्रतिवादीगण अपने जिम्मे की तनकीयात को साबित कराने में असफल रहा इसलिए वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीया की कब्जे काश्त की आराजियात मौजा बोराखेडी की आराजी नं0 524 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि (पुराने आराजी नम्बर 906/763/343 रकबा 15 बिस्वा) पर किसी भी प्रकार की कोई दखलअंदाजी नही करे तथा शांति पूर्वक उपयोग एवं उपभोग मे किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करे तथा वादीया सार्वजनिक सडक में किसी प्रकार की बाधा नहीं करे खर्चा फरीकन अपना–अपना वहन करेगें। निर्णय अनुसार डिक्री बनाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (राज.) निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:41 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–31/2008
GCMS No. -2016/00248

1. श्रीमती काली बाई पत्नि गणपत लाल सुथार निवासी बोराखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा राज०

वादिया

बनाम

1. श्रीमती सीता बाई पत्नि भंवरलाल ब्राहम्ण उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी बोराखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा राज०
2. श्री भंवर लाल पिता तोली राम ब्राहम्ण पेशा बाइत निवासी बोराखेडी।
3. श्री मिठ्ठु लाल पिता भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी बोराखेडी।
4. श्री राधेश्याम पिता भंवर लाल ब्राहम्ण निवासी बोराखेडी।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

::निर्णय::

दिनांकः–13.01.2025

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री ऋषभ कुमार सेठिया, प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीया की कब्जे काश्त की आराजियात मौजा बोराखेडी की आराजी नं0 524 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि (पुराने आराजी नम्बर 906/763/343 रकबा 15 बिस्वा) पर किसी भी प्रकार की कोई दखलअंदाजी नही करे तथा शांति पूर्वक उपयोग एवं उपभोग मे किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करे तथा वादीया सार्वजनिक सडक में किसी प्रकार की बाधा नहीं करे खर्चा फरीकन अपना–अपना वहन करेगें। निर्णय अनुसार डिक्री बनाई जावें।

यह आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:41 IST
Reason: SelfAttested